

# फर्द अहकाम

बनाम

उपखण्ड अधिकारी चाकसू

310/2019

आज्ञा या विवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
124	<p>पत्तावली पेश हुई। वकील वारी उपर बहल विभाजन प्रस्ताव पर वकील वारी की सुनी गई। बहल वकील वारी की सुने व विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि वारी मन्नालाल पुत्र गणेश नारायण जैत दो पुत्र हैं। वारी के वारिलान केशिनेश पुत्र मन्नालाल ने विभाजन करने से मना किया। अतः मौका अमीश्वर की रिपोर्ट के आधार पर वाद सारहीन, दो गया हैं। सारहीन होने के कारण वारी का वाद खारिज किया जाता है। पत्तावली फेल्ल श्रुमार दोठर दर्ज नम्बर ले कम ही।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)</p>	<p><i>(Handwritten signature and notes in red ink)</i></p>